

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट रोवा जिला रोवा म०प्र० ।

RS-301-



- 1- सुखरुआ विधा पत्नी शोभनाथ
- 2- भैयालाल पटेल तनय शोभनाथ पटेल
- 3- रजनीश पटेल तनय शोभनाथ पटेल,
- 4- सुखरुआ सोनिया पटेल पत्नी स्व० श्यामलाल पटेल,
- 5- दोषक पटेल तनय श्यामलाल पटेल, ~~पटेल~~

अधिवक्ता जी. रम. पटेल  
पूजा पटेल 13-12-17

----- सभी निवासी ग्राम महली तहसील मन्गवां जिला रोवा म०प्र०

----- निगरानी कर्तागण।

विरुद्ध

- 1- निर्मला पिता चन्द्रमान ,

वस्तु आफ कोर्ट स्व० चन्द्रमान पटेल तनय रामसेवक पटेल वारिश पत्नी सुखरुआ उर्फ  
उच्च मण्डल म० प्र० न्यायालय (सर्किट कोर्ट) रोवा बोडडी पत्नी स्व० चन्द्रमान पटेल

----- दोनों निवासी ग्राम महली तहसील मन्गवां जिला रोवा म०प्र०

----- अना० गण ।

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी  
महोदय प्रभारी तहसील मन्गवां द्वारा प्र०क्र० -  
26अ27 अपील/2016-17 आदेश दि० 31-10-17 .  
मुताविक धारा 50 म०प्र०भूरासंहिता 1959 ई०।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

- 1- यहिक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है ।
- 2- यहिक अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी प्रभारी तहसील मन्गवां के यहां तहसील न्यायालय के प्रकरण क्र०- 90अ27/2007-08 आदेश दिनांक 06-06-2008 के विरुद्ध अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के यहां इस - आशय की अपील दिनांक 21-06-2016 को प्रस्तुत की गयी कि अनावेदिका को सुनवाई का अवसर नहीं प्रदान किया गया ।
- 3- यहिक उक्त तहसील प्रकरण की जानकारी अना०गण को थी, क्योंकि


म

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 6063

जिला-रीवा

मुस0 सुखरजुआ / निर्मला पटेल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी0एल0 पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 26/अ-27/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	